



प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, पश्चिमबंगाल और सिक्किम
OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX, WEST BENGAL & SIKKIM

Aayakar Bhawan, P-7, Chowringhee Square, Kolkata-700069

Section: DCIT, Hqrs., (Admn. & Vigilance), Kolkata

Phone: (033) 2213 6150 Email: kolkata.dcit.hq.admin.vig@incometax.gov.in

FNo.PCCIT/WBS/Admn/DC/Est(Gz)/76(Part-I)/Prom.&T-P(AO)/2025-26

दिनांक: 30.05.2025

Order No. 66 of 2025-26

भाग/Part-I: पदोन्नति/ PROMOTION

निम्नलिखित कार्यालय अधीक्षक को नियमित आधार पर वेतनमान 2025 के लिए वेतन लेवल-7 (पूर्व संशोधित वेतन बैंड 2: रु.9,300 - 34,800/-, ग्रेड वेतन रु.4600/-) में प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-III के पद पर 01.06.2025 प्रभाव से या ऐसी पदोन्नति पर उसके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, जो भी बाद में हो, स्वस्थाने आधार पर पदोन्नत किया जाता है: / The following **Office Superintendent**, is hereby promoted to the post of **Administrative Officer Gr-III** in the Pay Level - 7 (Pre revised Pay Band 2: Rs.9,300 – 34,800/-, Grade Pay Rs.4600/-) on **regular basis**, for the V.Y 2025, with effect from 01.06.2025 or the date of her joining on such promotion, whichever is later on **in-situ** basis:-

क्र.सं./ SI No	नाम (श्री) / Name (Smt.)	जन्मतिथि / Date of Birth	कार्यालय अधीक्षक के रूप में वर्तमान तैनाती / Present Posting as Office Superintendent
1.	RADHA (SAHA) CHAKRABORTY	15.06.1970	O/o CIT (Exemption), Kolkata

(a) उपर्युक्त व्यक्ति द्वारा कार्मिक, लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 13/2/2017-Estt.(Pay-I) , दिनांक 27.07.2017 के पैरा-3 के अनुसार पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के मामले में पदोन्नति की तारीख से 1 (एक) माह के भीतर अपना विकल्प चयन किया जाना है। / The above persons is hereby asked to exercise her option within 1 (one) month of the date of promotion in the matter of fixation of pay on such promotion in terms of Para-3 of the Ministry of Personnel, Public Grievances Pension (Deptt. Of Personnel & Training) Office Memorandum No. 13/2/2017-Estt.(Pay-I) dated 27.07.2017.

(b) संबंधित अधिकारी को किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के प्रत्यावर्तित किजा सकता है।/ The Official concerned is liable to be reverted without prior notice at any time.

(c) संबंधित व्यक्ति कृपया ध्यान दें कि पदोन्नति से इंकार करने की स्थिति में, उसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10.04.1989 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22011/5/91-Estt.(D) dated 27.03.1997 के साथ पठित का. ज्ञा. सं. . 22011/5/86-Estt.(D) दिनांक 27.03.1997 के अनुसार उक्त पदोन्नति से इंकार करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगली रिक्ति होने तक, जो भी बाद में हो, पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। / The person concerned may please note that in the



event of her refusing promotion, she would be debarred from promotion for a period of one year from the date of refusal of said promotion or till the next vacancy arises, whichever is later, as per the D.O.P&T's O.M No. 22011/5/86-Estt.(D), dated 10.04.1989 read with O.M. No. 22011/5/91-Estt.(D) dated 27.03.1997.

(d) उपर्युक्त अधिकारी की प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-III के पद पर पदोन्नति इस संबंध में केंद्रकबो/ डीओपीटी द्वारा जारी किसी प्रासंगिक न्यायालय आदेश या निदेश/निर्देश के अधीन होगी। / The promotion of the above mentioned Officer in the grade of Administrative Officer Gr-III is subject to any relevant Court Order or direction/instruction issued by CBDT/DoPT in this regard.

भाग / Part-II: इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट उचित माध्यम से दिनांक 09.06.2025 तक प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम के कार्यालय तक प्रेषित की जानी है। / A compliance report in this regard should reach the office of the Pr. CCIT, WB & Sikkim by 09.06.2025 through proper channel.



Sd/-

(ए के सिंह, भा.रा.से. / A.K Singh, I.R.S)

आयकर आयुक्त (प्रशा. व कर दाता सेवाएं), कोलकाता
Commissioner of Income Tax(Admn. & Tax Payer Services), Kolkata



प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, पश्चिमबंगाल और सिक्किम
OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX, WEST BENGAL & SIKKIM

Aayakar Bhawan, P-7, Chowringhee Square, Kolkata-700069

Section: DCIT, Hqrs., (Admn. & Vigilance, Kolkata)

Phone: (033) 2213 6150

Email: kolkata.dcit.hq.admin.vig@incometax.gov.in

M. No.PCCIT/WBS/Admn/DC/Est(GZ)/76(Part-I)/Prom.&T-P(AO)/2025-26/4462-4611

Date 30.05.2025

सूचना एवं आवश्यक कारवाई के लिए प्रतिलिपि / Copy for information and necessary action to:

1. प. बंगाल एवं सिक्किम प्रभार के सभी मुख्य आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक, All CCsIT/ DGIT in W. B. region.
2. प. बंगाल एवं सिक्किम प्रभार के सभी प्रधान आयकर आयुक्त/ प्रधान आयकर निदेशक, All PCsIT/ PDsIT in W. B. region.
3. प. बंगाल एवं सिक्किम प्रभार के सभी आयकर आयुक्त/ आयकर निदेशक, All CsIT/ DsIT in W. B. region.
4. संबन्धित अधिकारी/The Officers concerned.
5. लेखा अधिकारी, क्षेत्रीय लेखा कार्यालय, सीबीडीटी, कोलकाता, The Accounts Officer ; ZAO, CBDT, Kolkata.
6. सहायक निदेशक(रा.भा.)-1, कोलकाता(हिन्दी अनुबाद हेतु), The AD(OL)-1, Kolkata(for Hindi version)
7. सचिव, भा रा से एशोसियेशन, प. बंगाल प्रभाग, The Secretary, IRS Association, West Bengal Chapter.
8. सचिव, आय. राज. अधि. एशोसियेशन, प. बंगाल प्रभाग, The Secretary, ITGOA, West Bengal Unit.
9. सचिव, आयकर कर्मचारी फेडरेशन, बंगाल सर्किल The Secretary, ITEF, Bengal Circle.
10. सचिव, अखिल भारतीय आयकर अनु. जाति /जनजाति कर्मचारी कल्याण संगठन, प. बंगाल प्रभाग, The Secretary, All India Income-tax SC & ST Employees' Welfare Association, W. B. Unit.
11. Confidential Section for uploading order in departmental website: www.incometaxkolkata.gov.in
12. गार्ड फाईल, The Guard File.



(ASHUTOSH KUMAR SAHU, I.R.S)

आयकर उपायुक्त, मुख्या.(प्रशा. व सर्तकता), कोलकाता

DCIT, Hqrs.(Admn. & Vigilance), Kolkata

कृते प्र.मु.आ.आ., प.ब. एवं सिक्किम/ For Principal CCIT, WB & Sikkim